<u>न्यायालयः— तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बालाघाट, जिला—बालाघाट (म०प्र०)</u> { पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

<u>व्यवहार वाद क्र. 47-ए/2017</u> <u>संस्थापन दि. 21.03.2017</u> सी.एन.आर नं. एम.पी.50010012092017

नारायण वल्द भाउलाल, उम्र 49 वर्ष, जाति लोधी,	
निवासी ग्राम बिरनपुर तहसील लांजी,	
जिला–बालाघाट(म०प्र०)	<u>वा</u>

/ / विरूद्ध 🎪

- प्रमिलाबाई उर्फ यशोदाबाई वल्द भाउलाल, जाति लोधी, निवासी ग्राम पिपरटोला, पोस्ट धनोली, तहसील आमगांव जिला गोंदिया,
- 2. भागरतीबाई पति निर्भयदास लिल्हारे, जाति लोधी, निवासी ग्राम गोरे, तहसील लांजी, जिला बालाघाट,
- अमरोतीबाई बेवा सियाराम नागपुरे, जाति लोधी, निवासी ग्राम पंचम टोला बहेला, तहसील लाजी जिला बालाघाट,
- 4. राजकंवरबाई पति चमरू दमाहे, जाति लोधी, निवासी ग्राम घन्सा तहसील लांजी जिला बालाघाट,
- 5. नायब तहसीलदार लांजी, 🧷
- 6. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.) *प्रतिवादीगण*

वादी / आवेदक द्वारा श्रीमती कल्पना तिवारी अधिवक्ता। प्रतिवादी / अनावेदक कृं. 5 व 6 द्वारा श्री अभिजीत बापट शासकीय अधिवक्ता प्रतिवादी / अनावेदक कृं. 2, 3 पूर्व से एकपक्षीय। प्रतिवादी / अनावेदक कृं. 1 अनिवार्हित।

// आदेश //

{ <u>आज दिनांक 27.07.2017 को घोषित</u> }

- 1— इस आदेश द्वारा वादी / आवेदक की और से पेश आवेदन पत्र आदेश—39 नियम—1 व 2 तथा धारा—151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर—1 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर—1 संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/आवेदक एवं प्रतिवादी/अनावेदक कं. 1 से 4 तक ग्राम बिरनपुर निवासी भाउलाल वल्द परसराम के वशंज है, वे जाति के लोधी है एवं हिन्दु धर्म को मानते है, इस कारण से वे हिन्दु विधि से अनुशासित होते हैं। भाउलाल वल्द परसराम एवं उसके पूर्वज ग्राम बिरनपुर तहसील लांजी जिला बालाघाट के स्थाई निवासी थे। भाउलाल की

पत्नी गिरजाबाई थी, भाउलाल एवं गिरजाबाई की पांच संताने थी जिसमें एक पुत्र एवं चार पुत्रीया थी, जो क्रमश नारायण, प्रमिलाबाई, भागरतीबाई, अमरोतीबाई, राजकुंवरबाई भाउलाल की सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका है एवं विवाह के बाद से सभी अपने अपने ससुराल में निवास कर रही है। भाउलाल की मृत्यु दिनांक 11.01.1997 को हो चुकी है एवं उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी गिरजाबाई की मृत्यु हो गई है। भाउलाल जीवित था, उस समय तक उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खेती की जाती थी उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्रियों के विवाह के बाद अपने अपने ससुराल चले जाने के बाद उस भूमि पर वादी ही खेती करता था। दिनांक 10.11.2015 को आवेदिका कं. 1 द्वारा नायब तहसीलदार लांजी के न्यायालय में प्रकरण में विवादित भूमि के सहखातेदार होने के आधार पर धारा 178 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए बंटवारे हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसका रा.प्र.कं. 2अ—27 वर्ष 2015—16 प्रमिलाबाई बनाम नारायण व अन्य था, जिसमें नायब तहसीलदार लांजी द्वारा प्रकरण में आवेदक को सूचना प्रेषित किये जाने पर आवेदक को अनावेदक कं. 1 द्वारा अपने पैत्रक भूमि का बंटवारा करा कर उपरोक्त कृषि भूमि में उसका हिस्सा मांगे जाने की जानकारी हुई, अनावेदक कं. 1 द्वारा नायब तहसीलदार लांजी के समक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रकरण में विवादित भूमि में से 1/5 भाग की मांग की गई थी।

वादी / आवेदक ने आगे कथन किया है कि वादी / आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार लांजी के न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवादी/अनावेदक कं 1 द्वारा धारा 178 म. प्र.भू.रा.सं. के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी कं. 1 द्वारा मांगे गये हिस्से को अस्वीकार करते हुए प्रकरण में विवादित भूमि पर अनावेदक कं. 1 के 1/5 हिस्से को अस्वीकार करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिस पर नायब तहसीलदार लांजी द्वारा प्रकरण में ना तो प्रतिवादी /अनावेदक क. 1 जो की नायब तहसीलदार लांजी के नयायालय में आवेदिका थी उसे उसका पक्ष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और ना ही वादी / आवेदक को अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और प्रकरण में पटवारी से दिनांक 05.07.2016 फर्द बंटवारा प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया। प्रकरण के पक्षकार गण जाति के लोधी हैं एवं वे हिन्दु धर्म को मानते हैं एवं हिन्दु विधि से अनुशासित होते हैं, प्रकरण में भाउलाल की पुत्रियों का अधिकार दिनांक 11.01.1997 को उत्पन्न हुआ, जब भाउलाल की मृत्यु हो गई, हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानों के अनुसार पैत्रक संपत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार होता है, किंतु पुत्रियां हिन्दु संयुक्त परिवार की सहदायकी नहीं होती इस कारण से उनका अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है, एवं जिस समय अधिकार उत्पन्न होता है, उस समय की प्रचलित विधि के अनुसार संपत्ति का बटवारा भी होता है। इस प्रकरण में भाउलाल की मृत्यु दिनांक 11.01.1997 को हुई, इस कारण प्रकरण में विवादित संपत्ति का बंटवारा भी वर्ष 1997 की प्रचलित विधि के अनुसार ही होगा वर्ष 1997 में हिन्दु संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार पुत्र एवं मां के बराबर ना हो कर पिता को बटवारे में प्राप्त संपत्ति में बराबर का अधिकार होता था और इस कारण से भाउलाल की पुत्रियां प्रकरण में विवादित संपत्ति में पुत्र एवं मां के बराबर न हो कर पिता को बंटवारे में प्राप्त संपत्ति में बराबर का अधिकार होता था और इस कारण से भाउलाल की पुत्रियां प्रकरण में विवादित संपत्ति में पुत्र एवं मां के बराबर अर्थात 1/5 भाग प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और इसी प्रकार अनावेदक कं. 🖊 द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में 1/5 भाग प्राप्त करने का निवेदन किया है इस कारण वह विधि के प्रावधानों के विपरित है।

- 4— वादी/आवेदक का यह भी अभिवचन है कि रा.प्र.कं. 23—27 वर्ष 2015—16 प्रमिलाबाई बनाम नारायण व अन्य था, जिसमें नायब तहसीलदार लांजी द्वारा प्रकरण में विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण किया जा रहा था, उसे शुन्य घोषित करने हेतु आवेदक द्वारा श्रीमान के न्यायालय में एक व्यहवार वाद प्रस्तुत किया है जिसमें उसके द्वारा नायब तहसीलदार लांजी को भी पक्षकार बनाया गया है। इस कारण से उस प्रकरण में उनके यहां चल रही कार्यवाही को व्यवहार वाद के निराकरण तक रोक दिया जावे, किंतु उनके द्वारा यह कह कर की जब तक व्यवहार न्यायालय से प्रकरण की कार्यवाही रोकने के आदेश नहीं प्राप्त होता, तब तक प्रकरण की कार्यवाही चलते रहेगी और उनके द्वारा प्रकरण में संबंधीत पटवारी से फर्द बंटवारा बुलाने की कार्यवाही कर दी। ऐसी स्थिती में न्यायहीत में यह आवश्यक है नायब तहसीलदार लांजी के न्यायालय में विचाराधीन रा.प्र.कं. 23—27 वर्ष 2015—16 प्रमिलाबाई बनाम नारायण व अन्य में चल रही कार्यवाही को श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन व्यवहार वाद के निराकरण तक रोका जावे।
- 5— प्रतिवादीगण कृं. 5 व 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 6- विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :--
 - 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी / आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
 - 2— क्या सुविधा का संतुलन वादी / आवेदकके पक्ष में है ?
 - 3— क्या वादी / आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

विचारणीय प्रश्न कमांक-1, 2 व 3 का निष्कर्ष :-

- 7— सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। बादी/आवेदक ने यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि अनावेदक/प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 उसकी बहने हैं और उनके पिता भाउलाल के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज रही है। प्रतिवादी कं. 1 ने तहसीलदार लांजी के समक्ष बंटवारा करवाये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर से तहसीलदार ने सहखातेदार होने के आधार पर सभी को सूचना पत्र जारी किये, जिसमें वादी/आवेदक के द्वारा भी आपित्त प्रस्तुत की गई, किंतु नायब तहसीलदार लांजी ने उसे साक्ष्य का अवसर प्रदान न करते हुए बंटवारे का आदेश पारित कर दिया है, जबकि हिंदु विधि के अनुसार भाउलाल की पुत्रियों को अपने पिता की संपत्ति में सहदायिकी न होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात् अधिकार उत्पन्न होता है और वह पुत्र एवं मां के बराबर संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकती हैं, इसलिए अनावेदक/प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में 1/5 का भाग प्राप्त करना विधि के प्रावधानों के विपरित है, इसलिए उक्त आदेश को शुन्य घोषित किया जाकर उक्त आदेश की कार्यवाही को रोका जावे।
- 8— अनावेदक / प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 की ओर से कोई जवाब अभिलेख पर नहीं है, तथा वादग्रस्त भूमि पैत्रक है, इस संबंध में वादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा सन् 16—17 से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर भाउलाल के सभी वारसानों का नाम सहखातेदारों

के रूप में दर्ज है और अब भाउलाल के वारसान अनावेदक / प्रतिवादी कृं. 1 वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कराना चाहती है, जिसके संबंध में तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही लंबित है, जिसमें की आवेदक / वादी उपस्थित हो चुका है और अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर चुका है, यदि वादी/आवेदक को उक्त आदेश से कोई असंतोष है तो वह वरिष्ठ राजस्व न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण कर सकता था, जहां की उसे उपचार प्राप्त था, किंतु उसकी ओर से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वह इस न्यायालय के माध्यम से विभाजन कार्यवाही रूकवाना चाहता है, उक्त विभाजन कार्यवाही किस प्रकार अवैध है, इस संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है, मात्र सहदायकी संपत्ति बताते हुए अभिवचन किया है, ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है एवं तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधि के प्रावधानों के विपरित होना दर्शित नहीं होती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में दिखाई नहीं देता। जब प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं है तो उसे अपूर्णीय क्षति एवं असुविधा की संभावना भी दिखाई नहीं देती है ।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ वादी / आवेदक के पक्ष में न होने से वादी / आवेदक का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश—39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर-2 का विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा। आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।

मरे द सही /— (अपर्णा आर.शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (अपर्णा आर. शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 THERE SHEET BY SET SHEET STREET STREE बालाघाट (म.प्र.)